

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या -947/2014/झुंझुनूं

मैसर्स कूलदीप एन्टरप्राइजेज, झुंझुनूं ।

.....अपीलार्थी.

बनाम्

(i) सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट-प्रथम, झुंझुनूं।

(ii) उपायुक्त (प्रशासन), बीकानेर।।

.....प्रत्यर्थीगण

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित :

श्री अलकेश शर्मा,
अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री रामकरण सिंह,
उप-राजकीय अभिभाषक ।

.....प्रत्यर्थीगण की ओर से.
निर्णय दिनांक :23.01.2015

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी ने यह अपील उपायुक्त, (प्रशासन) वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे "सक्षम अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.03.2014 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "वैट अधिनियम" कहा जायेगा) के तहत प्रस्तुत की है, जो प्रकरण संख्या-प.4(279)कर/34/उपा-बी/2013-14/2352 के संबंध में हैं तथा जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अधिनियम की धारा-34 के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र को "सक्षम अधिकारी" द्वारा अस्वीकार करने को विवादित किया गया है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या-1 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-प्रथम, झुंझुनूं (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1954 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 10(4) के तहत अपीलार्थी व्यवहारी का निर्धारण वर्ष 1991-92 का एकपक्षीय कर निर्धारण आदेश दिनांक 04.03.1995, पारित कर, तदनुसार मांग राशि कायम की गयी । उक्त पारित निर्धारण आदेश दिनांक 04.03.1995 के विरुद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा तत्कालीन सक्षम अधिकारी के समक्ष अधिनियम की धारा 34 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर, पारित निर्धारण आदेश दिनांक 04.03.1995 को निरस्त कर, पुनः कर निर्धारण आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया गया। जिसकी "सक्षम अधिकारी" द्वारा सुनवायी कर, आदेश दिनांक 26.03.2014 के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। जिसे इस अपील के द्वारा चुनौती दी गयी है।
3. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी।
4. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर

लगातार.....2

सक्षम अधिकारी द्वारा पारित आदेश को अविधिक होने का कथन कर तर्क दिया कि सक्षम अधिकारी द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यात्मक स्थिति को नजरअंदाज कर, केवल इस आधार पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर दिया गया कि प्रकरण अधिनियम के तहत निर्धारण वर्ष 1991-92 से संबंधित है जो कालातीत हो चुका है। तर्क दिया कि अपीलार्थी व्यवहारी का उक्त अवधि का एकपक्षीय निर्धारण आदेश प्रत्यर्थी संख्या-1 द्वारा पारित कर, मांग राशि रू.40,469/- कायम की गयी। कथन किया कि उक्त आदेश पारित करने से जनवरी माह 2014 तक अपीलार्थी व्यवहारी को उक्त पारित आदेश के संबंध में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी। जनवरी माह 2014 में विभाग के जे.सी.टी.ओ. द्वारा उनके व्यवसाय स्थल पर आकर उक्त कायम मांग राशि जमा करवाने हेतु कहा गया, जिसके पश्चात अपीलार्थी व्यवहारी को उक्त पारित आदेश दिनांक 04.03.1995 के संबंध में ज्ञात हुआ। कथन किया तदुपरांत अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा 17.01.2014 को अपीलार्थी व्यवहारी श्री कुलदीप शेखसरिया द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 80 के तहत संबंधित निर्धारण अधिकारी के समक्ष आवेदन किया गया एवम् पत्रावली का अवलोकन करने पर उसे विदित हुआ कि उक्त अवधि का एकपक्षीय निर्धारण आदेश पारित कर, तदनुसार मांग राशि कायम की गयी है। कथन किया कि इस संबंध में निर्धारण अधिकारी द्वारा पत्रावली पर यह अंकित किया गया है कि “संविदाकार को डाक लिफाफे पर अंकित पते पर प्राप्त कर्ता नहीं होने के कारण तामिल नहीं होना पाया गया है” पुनः कथन किया कि सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त तथ्यात्मक स्थिति को नजरअंदाज कर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर दिया जो विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। अतः अपने उक्त तर्कों के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा पारित आदेश को अपास्त कर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर, पारित निर्धारण आदेश दिनांक 04.03.1995 को निरस्त कर, निर्धारण अधिकारी को आलोच्य अवधि का पुनः निर्धारण आदेश पारित करने हेतु प्रकरण को प्रतिप्रेषित करने हेतु निवेदन किया गया।

5. प्रत्यर्थीगण की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों का समर्थन कर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

6. उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया। हस्तगत अपील सक्षम अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 34 के तहत पारित आदेश के विरुद्ध है। इस संबंध में अधिनियम की धारा 34 के प्रावधान



निम्नानुसार हैं:-

अधिनियम की धारा 34.—Reopening of *ex-parte* assessment. - (1)
Where an assessment has been made *ex-parte* under sections 22 or clause (b) of sub-section (2) of section 24, clause (c) of sub-section (3) of section 24, sub-section (4) of section 24 or section 25 or section 26 or section 27, the Deputy Commissioner (Administration) may, on the application of the dealer made within thirty days of the date of service of the notice of demand in consequence of such assessment along with such fee as may be prescribed, by an order direct the assessing authority or the officer authorized by the Commissioner as the case may be, to cancel the assessment and proceed to make a fresh assessment in accordance with the provisions of law.

(2) Before issuing direction under sub-section (1), the Deputy Commissioner (Administration) should be satisfied that the applicant dealer did not receive notice or summons issued to him under sections 22 or clause (b) of sub-section (2) of section 24, clause (c) of sub-section (3) of section 24, sub-section (4) of section 24 or section 25 or section 26 or section 27 or that he was prevented by sufficient cause from complying with any notice or summons issued to him for assessment.

(3) Where the order for cancellation of the assessment under sub-section (1) has been passed, the assessing authority or the officer authorised by the Commissioner as the case may be, shall make fresh assessment within sixty days from the communication of the order passed by the Deputy Commissioner (Administration) under sub-section (1).


7. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 34 के प्रावधानानुसार दो बिन्दु निर्णायक हैं जिनके आधार पर पारित कर निर्धारण आदेश को पुनः खोला जा सकता है—(i) उपर्युक्त वर्णित धाराओं में पारित निर्धारण आदेश हेतु व्यवहारी को सूचना पत्र प्राप्त नहीं हुआ है अथवा (ii) सूचना पत्र प्राप्त तो हो गया हो परन्तु सूचना पत्र की पालना न करने के समुचित कारण विद्यमान हों । इस संबंध में उल्लेखनीय है कि उक्त धारा के प्रावधान तत्समय प्रवृत्त राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 10 सी के प्रावधानों से सैद्धान्तिक साम्यता रखते हैं । अतः उक्त प्रावधानों के प्रकाश में, रिकॉर्ड पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारण वर्ष 1991-92 के संबंध में निर्धारण आदेश पारित करने से पूर्व विधिक रूप से नोटिस जरिये रजिस्टर्ड डाक जारी किये गये हैं, परन्तु उक्त तमिल नहीं हुये जो रिकॉर्ड पत्रावली के पृष्ठ क्रमांक 22, 23, 24, 25, 26 व 27 पर उपलब्ध हैं। यही नहीं रिकॉर्ड पत्रावली पर उपलब्ध आदेशिका (पृष्ठ क्रमांक-1) पर



निर्धारण अधिकारी द्वारा यह स्वयम् अंकित किया गया है कि “संविदाकार को डाक लिफाफे पर अंकित पते पर प्राप्त कर्ता नहीं होने के कारण तामिल नहीं होना पाया गया है” अतः उक्त समस्त तथ्यात्मक स्थिति से विदित होता है कि अपीलार्थी व्यवहारी को निर्धारण आदेश पारित होने से पूर्व सुनवायी हेतु नोटिस प्राप्त नहीं हुआ जो स्पष्टतः नैसर्गिक न्याय सिद्धांतों का उल्लंघन है। इस संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा पारित आदेश से स्पष्ट है कि उनके द्वारा उक्त तथ्यात्मक स्थिति पर विचार किये बिना ही केवल प्रकरण के निर्धारण वर्ष 1991-92 से संबंधित होने के कारण, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अधिनियम की धारा 34 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर दिया गया जो विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। अतः उक्त तथ्यात्मक स्थिति के आलोक में, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर, प्रकरण निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर, निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवायी का उचित अवसर प्रदान कर, उक्त आदेश प्राप्ति के 60 दिवस में पुनः आदेश पारित करें।

8. परिणामतः, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर, प्रकरण सक्षम अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

निर्णय प्रसारित किया गया।


23.1.2015
(मदन लाल)
सदस्य